अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/42/2023-2024

11 अगस्त, 2023

सेवा में,

श्रीमती राजन देवी पत्नी श्री पूरण सिंह,
ग्राम फतेहपुरा, तहसील-महावन,
थाना बल्देव, जिला-मथुरा,
उत्तर प्रदेश-281305

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 01.09.2023 का आर टी आई आवेदन पत्र इस सचिवालय में दिनांक 04.09.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 61एफ 938171 संलग्न कर आपने अपने आवेदानों दिनांक 16.08.2023 एवं 21.08.2023 पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपके दिनांक 16.08.2023 एवं 21.08.2023 के आवेदन दिनांक 22.08.2023 एवं 24.08.2023 को इस सचिवालय में प्राप्त हुऐ थे, जो की दिनांक 06.08.2023 को श्रीयुत जिलाधिकारी, जिला मथुरा एवं पुलिस अधीक्षक मथुरा को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप श्रीयुत जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय मथुरा, एवं पुलिस अधीक्षक, पुलिस लाइन, मथुरा कैंट, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001 के कार्यालय से संपर्क करें।

अतः आपको पुनः सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

दस टका | দশ টাকা | દસ રૂપિયા | ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ | पत्तु रूपा | दहा रुपये | दस रुपए | दश रूपयकाणि

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
उप राष्ट्रपति कार्या० नई दिल्ली

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें ।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

श्रीमति ... देवी
पत्नी श्री पूरन सिंह
निवासी ...

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

22/8/21

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

61F 938171

सत्यमेव जयते

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE
भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER
डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.
PAY TO केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY
₹ 10
कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE
प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE
डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

দশ টাকা দশ টাকা ૬સ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ... පත්තු ருபா दहा रुपये ... दस रुपये दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी उप राष्ट्रपति कार्यालय नई दिल्ली को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें ।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक यहाँ अपना नाम और पता लिख सकता है SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

श्रीमति शोभा देवी पत्नी श्री पुरुषा सिंह निवासी महाबल

डाक टिकट POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

22/4/21

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

61F 938171

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL : 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2023-प्रशासन

6 सितम्बर, 2023

श्रीयुत जिलाधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय
पुलिस लाइन, मथुरा कैंट,
मथुरा उत्तर प्रदेश-281001

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्रीमती राजन देवी पत्नी श्री पूरण सिंह, ग्राम फतेहपुरा, तहसील-महावन, थाना बल्देव, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश के दिनांक 16.08.2023 एवं 21.08.2023 के पत्र इस सचिवालय मे दिनांक 22.08.2023 एवं 24.08.2023 को प्राप्त हुऐ हैं।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,

ह./-

(राजेश कुमार शर्मा)

प्रति सूचनार्थ :-

1. श्रीयुत पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन, मथुरा कैंट, मथुरा उत्तर प्रदेश-281001
2. श्रीमती राजन देवी पत्नी श्री पूरण सिंह, ग्राम फतेहपुरा, तहसील-महावन, थाना बल्देव, जिला-मथुरा, उत्तर प्रदेश कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्यवाही हेतु उपर्युक्त अधिकारियों के कार्यालय से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)

RTI No. 4

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 6 (1) के अन्तर्गत आवेदन

सेवा में आदरणीय श्रीमान केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/राज्य जनसूचना अधिकारी

महोदय आदरणीय उप राष्ट्रपति कार्यालय उप राष्ट्रपति भवन, 6 मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली 110011

आवेदक का पूरा नाम व पता:– श्रीमती राजन देवी पत्नी श्री पूरण सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम फतेहपुरा थाना बलदेव तहसील महावन जिला मथुरा (उत्तरप्रदेश) 281305 मो0 9758754439

O/o PS to HVPI
Diary No. 812
Date 4/9/23
Vice President's Secretariat

परम आदरणीय महोदय,

मैने आपके कार्यालय में दो भिन्न–भिन्न दिनांक 16/8/23, 21/8/23 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे। भारतीय पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से (उन दोनो प्रार्थना पत्रो की प्रति संलग्न है) लेकिन अब तक मेरे प्रार्थना पत्र पर सन्तोषजनक कदम नहीं उठाया गया है।

"कृपया इसके संदर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाए"

(1) यह कि प्रार्थीया ने आपके श्री चरणो में दिनांक 16/8/23 को भारतीय पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, देवेन्द्र पाराशर द्वारा प्रार्थीया से जबरन चौथ वसूली करने व जानसे मारने की धमकी देने के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही चाहने बावत् एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, इस प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा क्या कार्यवाही करवाई गई तथा अब मेरे प्रार्थना पत्र कहा रूका हुआ है। सूचना देकर कृतार्थ करें।

(2) यह कि प्रार्थीया ने आपके श्री चरणो में दिनांक 21/8/23 को भारतीय पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से श्री आलोक सिंह जी (P.P.S) क्षेत्राधिकारी महावन जिला मथुरा द्वारा पद व कर्त्तव्य का दुरूपयोग कर 20 हजार की जबरन चौथ वसूली करने वाले देवेन्द्र पाराशर को संरक्षण देकर थाना बलदेव में मुकदमा दर्ज नहीं करने के विरूद्ध शिकायत प्रेषित की थी इस शिकायत पर क्या निस्तारण हुआ तथा कब तक न्याय प्राप्त होगा। सूचना देकर कृतार्थ करें

श्रीमती राजन देवी

(3) मेरे प्रार्थना पत्र पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट

(4) विभाग के नियम के अनुसार मेरे प्रार्थना पत्र पर अधिकतम कितने दिनो में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी ? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है ?

(5) कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएं [illegible] कार्रवाई करनी थी ? लेकिन उन्होने कोई कार्रवाई नही [illegible]

(6) अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी ?

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नही हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पॉच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानो के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताऐं।

दिनांकः– 01/9/23

आवेदक

नि०

श्रीमती

स्थानः– फतेहपुरा

61 F

भारतीय पोस्ट ऑर्डर नं0 938171 10/– फीस

राजन देवी

RR391833866IN IVR:8282391833
RL KRISHI UPAJ MANDI GANGAPU
Counter No:1,17/08/2023,10:5
To:VICE PRESIDEN,OF INDIA MILANA
PIN:110001, New Delhi GPO
From:RAJAN DEVI ,FATEHPURA MAHAVA
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

सेवामें,

आदरणीय उप राष्ट्रपति महोदय,
उप राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार
नई दिल्ली 6 मोलाना आजाद
रोड नई दिल्ली 110011

विषय :- **देवेन्द्र पाराशर द्वारा प्रार्थीया से जबरन चौथ वसूली करने व जान से मारने की धमकी देने के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही चाहने बावत प्रार्थना।**

आदरनीय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीया ने श्री मुकेश पाराशर पुत्र श्री राजन लाल से उक्त मौजा में आराजी काश्त खरीदी है जिसका खाता संख्या 53 व खसरा नम्बर 79 रकवा 2.946 है0 लगान रूबरू कागजात रूपया सालाना का 1/4 भाग यानि अपने हिस्से का सम्पूर्ण रकवा 0.736-1/2 है0 लगान रूबरू कागजात रूपया सालाना स्थित मौजा फतेहपुरा तहसील महावन जिला मथुरा जो हर प्रकार के वार भार से पाक साफ है, बही संख्या 1 जिल्द संख्या 4091 के पृष्ठ 147 से 160 तक क्रमांक 6223 पर दिनांक 01.08. 2022 रजिस्ट्रीकृत किया गया । रजिस्ट्रीकृत अधिकारी श्री अशोक कटारिया जी श्रीमान उप निबंधक : महावन मथुरा है। उक्त आराजी काश्त को **देवेन्द्र पाराशर प्रार्थीया से चौथ वसूली करने के उद्देश्य से 20 हजार रूपये जबरन मांगने व रूपये नहीं देने पर दबंगई के बल पर जोतने-बोने नहीं दे रहा है।** प्रार्थीया ने दिनांक 26.07.2023 के दिन दोपहर के लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के [illegible]

[illegible]

और कहा कि जान प्यारी हो तो दोबारा [illegible]

दूंगा, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, कोई मेरे जूते को भी सीधा नहीं कर सकता । शासन-प्रशासन मेरी जेब में रहते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने मेरे परिवार से बैनामा द्वारा ज़ो कृषि भूमि खरीदी है उसका तुम्हें मुझे 20 हजार रूपये कमीशन देना होगा अन्यथा तुम खेत नहीं जोत सकते हो, चाहे जो कर लो । यह कि प्रार्थीया की उक्त मौजा में आराजी काश्त को श्री मुकेश पाराशर ने बेच कर प्रार्थीया के नाम बैनामा करा दिया है जिसमें देवेन्द्र पाराशर का कोई लेना-देना नहीं है। देवेन्द्र पाराशर श्री मुकेश पाराशर के ताऊजी का लड़का है जो अपने नशे-पते के शौक व शराब पीने के लिए जबरन चौथ वसूली कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि देवेन्द्र पाराशर द्वारा प्रार्थीया से जबरन चौथ वसूली करने व एक दो नाले की बन्दूक की बट से प्रार्थीया को वेरहमी से 4-5 बार मारा व पीटा तथा प्रार्थीया के वृद्ध धर्म पति श्री पूरण सिंह जी को व परिवार के लिए जान से मारने की धमकी देने के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही कर भय मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर न्याय प्रदान करे।

दिनांक : 16/08/2023

(देवेन्द्र पाराशर ठग से शोषित)

प्रार्थीया [redacted] [illegible] देवी

[illegible]

RL WKISHT UPAI MAHDI GANGAPUR SO
Counter No:1,21/08/2023,13:18
To:VICE PRESIDEN,GOVT OF INDIA RO
PIN:110011, Nirman Bhawan SO
From:RAJAN DEVI ,FATEHPURA THANA
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
India Post

सेवामें,

आदरणीय उप राष्ट्रपति महोदय,
उप राष्ट्रपति भवन, 6 मौलाना आजाद
रोड नई दिल्ली 110011

विषय :- श्री आलोक सिंह जी (P.P.S.) क्षेत्राधिकारी महावन जिला मथुरा द्वारा पद व कर्त्तव्य का दुरूपयोग कर 20 हजार की जबरन चौथ वसूली करने वाले देवेन्द्र पाराशर को संरक्षण देकर थाना बल्देव में मुकदमा दर्ज नहीं करने के विरूद्ध शिकायत ।

आदरनीय महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीया ने देवेन्द्र पाराशर द्वारा प्रार्थीया से जबरन चौथ वसूली करने व जान से मारने की धमकी देने के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने बावत थाना बल्देव जिला मथुरा में प्रार्थना-पत्र पेश किये थे लेकिन देवेन्द्र पाराशर की सांठ-गांठ श्री आलोक सिंह जी (P.P.S.) क्षेत्राधिकारी महावन जिला मथुरा से होने के कारण प्रार्थीया का मुकदमा दर्ज नहीं कियां जा रहा है तथा श्री आलोक सिंह जी (P.P.S.) क्षेत्राधिकारी महावन जिला मथुरा, चौथ वसूली करने वाले देवेन्द्र पाराशर की गाड़ी में बैठकर भी घूमते हैं। देवेन्द्र पाराशर को श्री आलोक सिंह जी (P.P.S.) क्षेत्राधिकारी महावन जिला मथुरा का संरक्षण प्राप्त है जो प्रार्थीया के न्याय में बाधा है।

अतः आदरनीय महोदय जी से प्रार्थना है कि श्री आलोक सिंह जी (P.P.S.) क्षेत्राधिकारी महावन जिला मथुरा का स्थानान्तरण करके न्याय प्रदान करें या देवेन्द्र पाराशर द्वारा प्रार्थीया से जबरन चौथ वसूली करने व जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण व श्री आलोक सिंह जी (P.P.S.) क्षेत्राधिकारी महावन जिला मथुरा की सांठ-गांठ तथा संरक्षण की मिली भगत की, सतर्कता/ विजीलेन्स/ CB. CID /ACB/ माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, आगरा मंण्ड़ल, आगरा से जांच करवाकर व दोषी पाये जाने पर सख्त से सख्त कार्यवाही करवाकर कृतार्थ करें।

दिनांक :- 21/08/23

प्रार्थीया

चौथ वसूली करने वाले देवेन्द्र पाराशर पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी **L.I.G.** 23बी, कदम्ब बिहार कॉलोनी, रॉची बॉगर, मथुरा, मूल निवासी गांव फतेहपुरा थाना बल्देव तहसील महावन जिला मथुरा, अपराध पीडिता अनपढ है इस कारण चौथ वसूली करने वाले देवेन्द्र पाराशर के आपराधिक इतिहास (रिकॉर्ड) की पुष्टि नही कर सकती है लेकिन इन अपराध की आपके द्वारा जॉच करवाने पर आपके समक्ष सच आ जायेगा। चौथ वसूली करने वाला देवेन्द्र पाराशर वेहद सातिर ठग प्रवृति का इंसान है।

आपराधिक इतिहास

क्रमांक	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1.	34 / 17	3डी यू0पी0 गुण्डा एक्ट	रिफाईनरी	मथुरा
2.	436 / 17	323,504,506,324,307 **I.P.C.**	रिफाईनरी	मथुरा
3.	04 / 18	323,504,506 **I.P.C.**	रिफाईनरी	मथुरा
4.	37 / 18	323,504,506,427 **I.P.C.**	वृन्दावन	मथुरा
5.	913 / 10	420,467,468,471 **I.P.C.**	कोतवाली	मथुरा
6.	327 / 15	147,148,149,441,504,506 **I.P.C.** एवं 7 दण्ड विधि	महावन	मथुरा
7.	384 / 16	138बी **I.P.C.**	रिफाईनरी	मथुरा
8.	38 / 19	138बी **I.P.C.**	रिफाईनरी	मथुरा
9.	50 / 18	323,504,506 **I.P.C.**	महावन	मथुरा
10.	107 / 19	323,504,506 **I.P.C.**	रिफाईनरी	मथुरा
11.	68 / 1999	323,324,504,506,307 **I.P.C.**	बल्देव	मथुरा
12.	वाद सं0 25 / 18	504,506 **I.P.C.** एस0सी0एस0टी0 एक्ट	रिफाईनरी	मथुरा
13.	63 / 19	323,504,506,27 **I.P.C.**	सदर बाजार	मथुरा
14.	34 / 19	323,504,506,27**I.P.C.**	भरतपुर	भरतपुर
15.	285 / 22	एस0सी0 एक्ट354ख,223,504, 506,147	रिफाईनरी	मथुरा

चौथ वसूली करने वाले देवेन्द्र पाराशर का माननीय न्यायालयो में आपराधिक इतिहास

16. 07 / 2022 माननीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मथुरा **CNR No. UPMT01-009228/2022** थाना रिफाईनरी जिला मथुरा

17. देवेन्द्र पाराशर को अन्तर्गत धारा– 376, 354, 504, 406, आई0पी0सी0 व 3/4 पोक्सो एक्ट में आदेश दिनांक 13.12.2022 (श्री विपिन कुमार–II) माननीय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मथुरा